



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

पत्रांक 625/6C

दिनांक 30/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग,  
चम्पावत।

विषय— जनपद-चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन०एच० 125 (नया-09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2407/12-1: देहरादून दिनांक 24.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सम्बोधित तथा पृष्ठांकित आपको एवं इस कार्यालय को है, के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:—

| बिन्दु संख्या | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                     | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के०एम०एल० फाईल में अंकित नहीं किया गया है।                                                                                                                | प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के०एम०एल० फाईल में अंकित कर अपलोड कर दी गयी है।                                                                                                                                                                                                                          |
| 2             | स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं।                                                                                                                                | निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 458/चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 20.04.2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 एवं आपके पत्रांक 4719/12-1 चम्पावत दिनांक 04.05.2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 में भी स्पष्ट कर दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)। |
| 3             | मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। | मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जायेगी, उसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा।                                                                                                                        |

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:—

उपरोक्तानुसार।

(इं. आशुतोष कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

पत्रांक /

दिनांक /05/2024

प्रतिलिपि— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट